

धारा 28 : रजिस्ट्रीकरण का संशोधन

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्यांक समुनदेशित किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के समय या तत्पश्चात् दी गई सूचना में किसी परिवर्तन के संबंध में ऐसे प्रारूप और रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, उचित अधिकारी को सूचित करेगा।
- (2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन करेगा या उन्हें नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा।

- (3) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का नामंजूर किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन नामंजूर किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा।

उपयुक्त नियम: नियम 19

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी आरईजी-14 एवं जीएसटी आरईजी-15